झारखण्ड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

संकल्प

संकल्प सं०–4/आ०–01–1009/21.....5025 राँची, दिनांक– 13/11/23

विषय :– श्री संजय कुमार शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पेयजल एंव स्वच्छता प्रमण्डल, चाईबासा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पेयजल एंव स्वच्छता प्रमण्डल, गोड्डा को विभागीय अधिसूचना संख्या–2920 दिनांक–21.07.2022 द्वारा अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध समर्पित अपील आवेदन को अस्वीकृत करने के संबंध में।

1. पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चाईबासा अंतर्गत तांतनगर ग्रामीण जलापूर्ति योजना में बड़े स्तर पर वित्तीय अनयिमितता बरते जाने का मामला विभाग के संज्ञान में आने के पश्चात् मामले की जाँच मुख्य अभियंता (सी०डी०ओ०), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में गठित समिति से करायी गई। समिति का जाँच प्रतिवेदन मुख्य अभियंता (सी0डी0ओ0) के पत्रांक–674 दिनांक–16.06.2021 के द्वारा विभाग को प्राप्त हुआ। उक्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में श्री संजय कुमार शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चाईबासा को विभागीय अधिसूचना संख्या–2312 दिनांक–07.09.2021 द्वारा निलंबित किया गया तथा विभागीय अधिसूचना संख्या–2485 दिनांक–23.09.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।
2. विभागीय जाँच पदाधिकारी–सह–संचालन पदाधिकारी का पत्रांक–107 दिनांक–19.05.2022 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया, जिसमें आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध गठित आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। जाँच प्रतिवेदन में वर्णित बिन्दुओं की समीक्षा विभाग द्वारा की गई तथा जाँच प्रतिवेदन में वर्णित तथ्यों से असहमत होते हुए श्री शर्मा के विरूद्ध गठित आरोपों को पूर्णतः प्रमाणित मानते हुए विभागीय पत्रांक–2411 दिनांक–09.06.2022 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई। प्रमाणित आरोपों की संक्षिप्त विवरणी निम्नवत् हैः–

   <u>आरोप संख्या–01:–</u> श्री संजय कुमार शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चाईबासा द्वारा तांतनगर ग्रामीण जलापूर्ति योजना में बिना आपूर्ति के 87.416 कि0मी0 पाईप का भुगतान किया गया, निर्माणाधीन अवयवों का भुगतान कराये गये कार्यों से अधिक किया गया, मापीपुस्त की जाँच सम्यक् रूप से नहीं किया गया; Mobilization Advance का समायोजन नहीं किया गया एवं संवेदक द्वारा योजना को Subletting करने में सहयोग करने तथा Consignee End पर Insection के पूर्व ही भुगतान

का कार्य किया गया। इस प्रकार श्री शर्मा द्वारा बड़े स्तर पर वित्तीय अनियमितता बरती गई, सरकारी राशि का दुरूपयोग किया गया, अपने कर्त्तव्यों का सम्यक् निर्वहन नहीं किया गया।
<u>आरोप संख्या–02:–</u> उक्त कार्य नहीं करके, पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3 (1) (i) एवं (ii) के प्रतिकुल आचरण है।

उक्त प्रमाणित आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक–2411 दिनांक–09.06.2022 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री शर्मा द्वारा अपने पत्रांक–शून्य दिनांक–20.06.2022 के माध्यम से द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब विभाग को समर्पित किया गया। श्री शर्मा से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा के क्रम में कोई नया तथ्य नहीं होने के कारण स्वीकारयोग्य नहीं पाया गया।

3. जाँच संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रेषित जाँच प्रतिवेदन तथा आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री संजय कुमार शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चाईबासा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पेयजल एंव स्वच्छता प्रमण्डल, गोड्डा के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या–2920 दिनांक–21.07.2022 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2016 के नियम–14 (vii) के तहत् प्रस्तावित दण्ड पर सक्षम प्राधिकार यथा माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड से प्राप्त अनुमोदन के उपरान्त निम्न दण्ड अधिरोपित किया गया :–

(i) श्री शर्मा को अपने कालमान वेतन में 05 Stage निम्नतर प्रक्रम पर तीन वर्षों के लिए अवनति।

(ii) उक्त अवनति की अवधि में उन्हें कोई वेतन वृद्धि अनुमान्य नहीं होगा एवं अवधि अवसान के बाद उक्त अवनति के प्रभाव स्वरूप उनकी अगामी वेतन वृद्धियाँ स्थगित रहेंगी।

(iii) साथ ही इनके निलंबन अवधि को कर्त्तव्य अवधि नहीं माना जाएगा।

4. श्री शर्मा द्वारा उक्त दण्डादेश के विरूद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2016 के नियम–24 एवं 27 के तहत् माननीय राज्यपाल के समक्ष अपील समर्पित किया गया, जो राज्यपाल सचिवालय के कार्यालय पत्रांक–3168 दिनांक–17.11.2022 एवं मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) के पत्रांक–1366 दिनांक–08.06.2023 के माध्यम से विभाग को प्राप्त हुआ।
5. श्री शर्मा से प्राप्त अपील आवेदन में उनके द्वारा मुख्य रूप से निम्न बिन्दु प्रतिवेदित किये गये हैं :–

(i) इस मामले में उनके विरूद्ध आरोप मुख्य अभियंता (सी०डी०ओ०), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–674, दिनांक–16.06.2021 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर लगाया गया है, जबकि उक्त जाँच प्रतिवेदन अनेक त्रुटियों के साथ गलत तथ्य एवं अनुमान के आधार पर तैयार किया गया है।

(ii) तांतनगर ग्रामीण जलापूर्ति योजना के निर्माण कार्य में विभाग को किसी भी प्रकार की आर्थिक क्षति, योजना की क्षति, योजना निर्माण में कमी नहीं हुई है, फिर भी विभाग द्वारा उन्हें दण्डित किया जाना अन्यायपूर्ण है।

(iii) उनके विरूद्ध गठित आरोप पत्र में गलत नियमों एवं साक्ष्यों को आधार बनाया गया है।

(iv) जाँच संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से विभाग का असहमत होना प्रमाणित करता है कि विभाग द्वारा किसी दवाब के कारण उन्हें बिना किसी गलती के आरोपित घोषित कर दण्डित किया गया है।

(v) उनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को बिना किसी तथ्य/समीक्षा के अस्वीकार करते हुए उनके विरूद्ध दण्ड अधिरोपित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चाईबासा अंतर्गत तांतनगर ग्रामीण जलापूर्ति योजना में बड़े स्तर पर वित्तीय अनयिमितता बरते जाने का मामला विभाग के संज्ञान में आने के पश्चात् मामले की जाँच मुख्य अभियंता (सी०डी०ओ०), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में गठित समिति से करायी गई। समिति का जाँच प्रतिवेदन मुख्य अभियंता (सी0डी0ओ0) के पत्रांक–674 दिनांक–16.06.2021 के द्वारा विभाग को प्राप्त हुआ। उक्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में श्री संजय कुमार शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, चाईबासा को विभागीय अधिसूचना संख्या–2312 दिनांक–07.09.2021 द्वारा निलंबित किया गया तथा विभागीय अधिसूचना संख्या–2485 दिनांक–23.09.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। तत्पश्चात् विभागीय जाँच पदाधिकारी–सह–संचालन पदाधिकारी का पत्रांक–107 दिनांक– 19.05.2022 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया, जिसमें आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध गठित आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। जाँच प्रतिवेदन में वर्णित बिन्दुओं की समीक्षा विभाग द्वारा की गई तथा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम 18 के तहत् जाँच प्रतिवेदन में वर्णित तथ्यों से असहमत होने के कारणों को अभिलिखित करते हुए श्री शर्मा के विरूद्ध गठित आरोपों को पूर्णतः प्रमाणित मानकर विभागीय पत्रांक–2411 दिनांक–09.06.2022 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री शर्मा द्वारा अपने पत्रांक–शून्य दिनांक–20.06.2022 के माध्यम से द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब विभाग को समर्पित किया गया। श्री शर्मा से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा के क्रम में कोई नया तथा नहीं होने के कारण स्वीकारयोग्य नहीं पाया गया। जाँच प्रतिवेदन तथा आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा में यह पाया गया कि श्री शर्मा पाईप आपूर्ति की दोषपूर्ण प्रक्रिया के लिये दोषी हैं, मापी पुस्तिका की सम्यक् जाँच नहीं करने का आरोप भी आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया, साथ ही कार्य से अधिक राशि का भुगतान/Mobilization Advance का समायोजन नहीं किये जाने/संवेदक द्वारा योजना को Subletting में सहयोग किये जाने एवं Consignee End पर Inspection से पूर्व भुगतान किये जाने संबंधी आरोप भी प्रमाणित पाये गये तथा इस क्रम में सरकारी आचार नियमावली से संबंधित आरोप

भी प्रमाणित पाया गया। तत्पश्चात् सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन के उपरान्त विभागीय अधिसूचना संख्या–2920 दिनांक–21.07.2022 द्वारा श्री शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध उपरोक्त दण्ड अधिरोपित किया गया है।

वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि आरोपी पदाधिकारी को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है तथा सभी कार्रवाई नियमानुसार निष्पादित की गयी है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपील आवेदन में प्रतिवेदित तथ्य पूर्व के बचाव–बयानों एवं द्वितीय कारण पृच्छा के क्रम में ही प्रतिवेदित है। अपील आवेदन में कोई नया तथ्य प्रतिवेदित नहीं है।

अतएव श्री शर्मा का अपील आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है तथा अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

6. उपर्युक्त प्रस्ताव पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची के संलेख ज्ञापांक–4767 दिनांक–17.10.2023 में सन्निहित प्रस्ताव के आलोक में मंत्रिपरिषद् की दिनांक–03.11.2023 को सम्पन्न बैठक की मद संख्या–08 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

17/11/2023

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 4/आ0–01–1009/2021– 5025 राँची, दिनांक– 17/11/23

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्रित के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

17/11/2023

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 4/आ0–01–1009/2021– 5025 राँची दिनांकः–17/11/23

प्रतिलिपिः महालेखाकार (लेखा एवं हक०), झारखण्ड, राँची /कोषागार पदाधिकारी जिला कोषागार, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/11/2023

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 4/आ0–01–1009/2021– 5025 राँची दिनांकः– 17/11/23

प्रतिलिपिः माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

17/11/2023

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 4/आ0–01–1009/2021– 5025 राँची दिनांकः– 17/11/23

प्रतिलिपिः सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ अभियन्ता प्रमुख/सभी अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता /सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित)/ सभी उप सचिव/अवर सचिव (प्रशाखा–01 एवं 04)/सभी कार्यपालक अभियन्ता (यांत्रिक सहित)/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/11/2023

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–4/आ0–01–1009/2021– 5025 राँची दिनांकः– 17/11/23

प्रतिलिपिः श्री संजय कुमार शर्मा, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, चाईबासा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/11/2023

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–4/आ0–01–1009/2021– 5025 राँची दिनांकः– 17/11/23

प्रतिलिपिः श्री नितिन कुमार, राज्य समन्वयक, आई०टी० (पी0एम0यू0), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय वेवसाईट एवं ई–गजट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

17/11/2023

(पशुपति नाथ मिश्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

F:\Section 4\Hembrom sir\Sanlekh - Sanjay Kumar Sharma, DWSD.doc